क्रम-संख्या—107(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11 / लाई0—
न्यूज पेपर / 91 / 05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 19 मई, 2006
बैशाख 29, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
संख्या यू0पी0ई0आर0सी0 / सेकी / एस0आर0 / 2006—1508
लखनऊ दिनांक 19 मई, 2006

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 और 181 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्ते) विनियमावली 2004 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2006

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्ते) विनियमावली 2004 के अध्याय—चार के अन्तर्गत विनियम (क)(छः) को निम्नवत संशोधित किया गया:

वर्तमान नियम	संशोधन
(छः) अंशदान भविष्य निधि — राज्य सरकार में लागू सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के अनुरूप	(छः) अंशदान भविष्य निधि — आयोग के कर्मचारियों को वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 की अधिसूचना संख्या सा— 3—379 / दस—05 / 301(9)—2003

वर्तमान नियम	संशोधन
	दिनांक 28–3–05 द्वारा लागू की गयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, परन्तु आयोग की सेवाओं में संविलीन होने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें उनके पैतृक विभाग / संस्था में राज्य कर्मचारियों / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति पेंशन–कम–सामान्य भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त थी, उन्हें आयोग की सेवा के दौरान भी वह सभी सुविधा पूर्ववत उपलब्ध होगी तथा उनके पैतृक विभाग / संस्था की सेवायें पेंशन प्रयोजनार्थ उन्ही शर्तों के अधीन अर्हय होगी, जो राज्य कर्मचारियों के मामले में लागू हैं। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान का दायित्व आयोग का होगा।

आयोग के आदेश से

संगीता वर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

No. UPERC/Secy/SR/2006-1508

Dated Lucknow, 19 May, 2006

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 91 and 181 of Electricity Act, 2003, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes following regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2004 .

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (First Amendment) Regulations, 2006 .

The provision under Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2004 chapter–IV (a)(vi) is amended as follows:

Existing Regulation	Amendment
(vi) Provident Fund - As per the provisions of General Provident Fund Rules applicable in the State Government	(vi) Provident Fund – The defined contribution pension system implemented vide *Vitta (Samanya) Anubhag –3* notification No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated March 28, 2005 shall apply to the

Existing Regulation	Amendment
	employees of the Commission however, for employees absorbed in the services of the Commission, who were availing the benefits of Pension-cum-GPF system in their parent department/organization on the pattern of State Employees /Central Government Employees, shall continue to get all those benefits as before during their services in the Commission and for pensionary purposes, their service in the parent department / organization shall be eligible on the same conditions, which are applicable on State Employees. The Commission shall be responsible for payment of pension of such employees.

By order of the Commission

SANGEETA VERMA,
Secretary,
UP Electricity Regulatory Commission, Lucknow

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 237 राजपत्र (हि0)–(368)–2006–586+50+10 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।